संख्या:34/2018/49/छप्पन-2018-41/03टी0सी0

प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 28 मार्च, 2018

विषय :वित्तीय वर्ष 2018-19 में नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 के लिए छः वाहन किराए पर लिए जाने की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 में नागरिक उड्डयन निदेशालय के उपयोगार्थ किराए पर लिए गए 04 वाहनों की कार्योत्तर स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 217/ना0उ0वि0/ऑप्स-59/2015, दिनांक 06 अक्टूबर, 2017 में किए गए प्रस्तावानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल शासनादेश संख्या-60/2015/945/छप्पन-2015-41/03टी0सी0 दिनांक 24 जुलाई, 2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में नागरिक उड्डयन निदेशालय के उपयोगार्थ 04 वाहनों को किराए पर लिए जाने की स्वीकृति की अवधि वित्तीय वर्ष 2017-18 तक बढ़ाए जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त उक्त सन्दर्भित पत्र में किए गए अनुरोध के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 में नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश के उपयोगार्थ निजी ट्रेवल एजेन्सियों से किराए पर वाहन लिए जाने विषयक राज्य सम्पत्ति अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-एम-1706/32-3-2018-7(32)/2001टीसी-I, दिनांक 28 फरवरी, 2018 (समय-समय पर यथासंशोधित) अथवा ई-टेंडरिंग के माध्यम से टोयोटा इनोवा/होंडा सिटी/मारूति सियाज/टाटा इंडिगो/मारूति स्विफ्ट डिजायर (ए0सी0 वर्जन) में से अधिकतम 06 वाहन किराए पर लिए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(क) अपरिहार्य/न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर किराए पर लिए जाने वाले वाहनों की संख्या (अधिकतम 06) अवधारित की जाएगी।

(ख) किराए पर लिए जाने वाले वाहनों का संचालन अपरिहार्य/न्यूनतम व्यय के आधार पर किया जाएगा।

(ग) निजी फर्मो का आबद्धीकरण ई-टेंडरिंग के माध्यम से अथवा राज्य सम्पत्ति अनुभाग-3 के सम्बन्धित शासनादेश में इंगित फर्मों के माध्यम से शासनादेश में इंगित वैधता अवधि में किया जाएगा।

(घ) यदि राज्य सम्पत्ति विभाग के शासनादेश के अधीन वाहन सम्बद्ध किए गए हों तो किसी फर्म की वैध सूची से बाहर होने की दशा में निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उस फर्म का सम्बद्धीकरण समाप्त कर दिया जाए।

(ड) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा फरवरी माह के प्रारम्भ में अगले वित्तीय वर्ष के लिए वाहनों की आवश्यकतानुसार शासन की अनुमति प्राप्त की जाएगी।

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु आबद्ध की गई फर्म से न्यूनतम किराए और अपरिहार्य आवश्यकता के आधार पर ही वाहन किराए पर लिए जाएंगे और फर्म को भुगतान सुसंगत नियमों का अनुपालन करते हुए किया जाएगा।

3- उपर्युक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अधीन सुसंगत लेखाशीर्षक "2070-अन्य प्रशासकीय सेवाएं-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय के मानक मद-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जाएगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या- ई-7-308/दस-2018, दिनांक 28 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

पृ0सं0: 34/2018/49(1)/छप्पन-2017-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- उप महालेखाकार ई0एस0।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-।,विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-।0
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
5- सचिव, लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।